Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

43/30

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक: इ०रा०वि०वि०/सम्बद्धता/467/2017 दिनांक: 30/05/2017

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.05.2017 के अनुपालन में **रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, सराय मुहम्मदजिया, भोपतपुर, हण्डिया, इलाहाबाद** को **स्नातक स्तर** पर **कला संकाय** के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्रा0भा0 इतिहास, उर्दू विषयो मे **बी0ए0 पाठ्यक्रम** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आगामी **शैक्षिक सत्र 2017-18 से सम्बद्धता** प्रदान किया जाता है:-

1. **संस्था/महाविद्यालय द्वारा विगत् तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने का प्रमाण उपलब्ध कराने के उपरान्त महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2017-18 से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के औपचारिक आदेश निर्गत किए जाएंगे।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
7. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16 (20)/2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. **प्रबन्धक, रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, सराय मुहम्मदजिया, भोपतपुर, हण्डिया, इलाहाबाद**
4. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI.:	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 946 /2015 दिनांक : 6/8/2015

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्य परिषद की अनुमति से **रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, सराय मुहम्मदजिया, भोपतपर, हण्डिया, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांकः 01.07.2015 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व निर्गत पत्र दिनांकः 30.05.2015 में इंगित कमियों यथा **(बिन्दु–1)** का निराकरण करा लिया जायेगा, अन्यथा आगामी सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
7. **महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता**/निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रबन्धक, रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, [illegible]जिया, भोपतपर, हण्डिया, [illegible]** है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों क[illegible]विद्यालय द्वारा सुनिश्चित [illegible] आदेशानुसार **महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के [illegible] ग्रुप एवं बायो० ग्रुप में दो–दो सेक्शन** (प्रति सेक्शन 60 छात्र) **कुल 240 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम [illegible] अनुमति दी जाती है।**
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, [illegible]
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 480/सत्तर–6–2014–2(531)/2014 दिनांक 25जून, 2014 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2419/2014 दिनांक 29.04.2014 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, सराय मुहम्मदजिया, भूपतपुर, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीतिशास्त्र, उर्दू एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में समस्त कमियों यथा याचित पाठ्यक्रम/विषयों के प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है एवं महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/विषयों के प्रवक्ताओं को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किए जाने का शपथ–पत्र/प्रमाण संलग्न नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/5807/2014 दिनांक 22/7/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, **रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, सराय मुहम्मदजिया, भूपतपुर, इलाहाबाद** को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तो का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। याचिका संख्या 61859/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत 07 सेक्शन (प्रति सेक्शन 60 छात्र) कुल 420 सीटें निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।
   उक्त के साथ महाविद्यालय का **वेबसाइट, ई–मेल, फोन नं0 आदि** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
2. उपकुलसचिव (परीक्षा), सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद [illegible])
कुलसचिव

Scanned by CamScanner